"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 जुलाई 2009—आषाढ़ 10, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2009

अधिसूचना

फा. क्रमांक 4373/डी-1478/21-ब/छ. ग./09.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्र. 39 सन् 1987) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) सहपठित छ. ग. विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002 के नियम 3 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक 1450/डी/484/21-ब/छ. ग./07 दिनांक 08 फरवरी 2007 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने तथा कृत्यों का पालन करने के लिए निम्नलिखित नाम-निर्देशित सदस्यों को दो वर्ष के लिए नियुक्त करती है :—

नाम-निर्देशित सदस्य

1. श्री चन्द्रशेखर बाजपेयी, अधिवक्ता, बिलासपुर
2. श्रीमती फौजिया मिर्जा, अधिवक्ता, बिलासपुर
3. डॉ. सत्यभामा अवस्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, बिलासपुर

Raipur, the 1st July 2009

NOTIFICATION

F. No. 4373/D-1478/XXI-B/CG/09.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) read with sub-rule (3) of Rule 3 Chhattisgarh State Legal Authority Rules, 2002, the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court, Chhattisgarh and in supersession of the previous Notification No. 1450/D-484/XXI-B/CG/07, Dated 8-2-2007, the State Government hereby appoints the following nominated members for the State to exercise the powers conferred and perform the functions for period of two years :—

NOMINATED MEMBERS

1. Shri Chandrashekhar Bajpai, Advocate, Bilaspur
2. Smt. Fouziya Mirza, Advocate, Bilaspur
3. Dr. Satyabhama Awasthi, Social Worker, Bilaspur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.